UPAU010034172025

न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, औरैया।

पीठासीन अधिकारी–**मयंक चौहान** (एच0जे0एस0)

(JO CODE UP 2011)

दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–70/2025

घनश्याम पुत्र नेकराम, निवासी ग्राम मढ़ापुर, थाना औरैया, जिला औरैया।

.....पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

1– उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा जिला शासकीय अधिवक्ता दण्ड, जनपद औरैया।

2– भगत सिंह

3– त्रिमोहन सिंह

पुत्रगण भानु प्रताप सिंह, निवासीगण ग्राम मढ़ापुर, थाना व जिला औरैया।

4– श्रवण कुमार पुत्र रमेशचन्द्र, निवासी ग्राम भदौरान, थाना व जिला औरैया।

.....विपक्षीगण

निर्णय

1– प्रस्तुत फौजदारी पुनरीक्षण, प्रार्थी/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा प्रकीर्ण प्रार्थना पत्र संख्या 417/2025 घनश्याम सिंह बनाम भगत सिंह आदि थाना औरैया, जिला औरैया में विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28.05.2025 के विरूद्ध प्रस्तुत किया गया है। आलोच्य आदेश पारित करते हुये विद्वान सम्बन्धित न्यायालय द्वारा प्रार्थी/पुनरीक्षणकर्ता का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता निरस्त किया गया है।

2– आक्षेपित आदेश को प्रार्थी/पुनरीक्षणकर्ता द्वारा इस आधार पर चुनौती दी गयी है कि विद्वान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट औरैया द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.05.2025 विधि विरुद्ध है। विपक्षीगण संख्या–2 लगायत 4 ने 2,00,000/– रूपये मछली का ठेका शुरू करने के लिए पुनरीक्षणकर्ता से लिये थे और आश्वासन दिया था कि मछली ठेका से होने वाली आय से 25 प्रतिशत हिस्सा पुनरीक्षणकर्ता को भी मिलेगा। विपक्षीगण उसकी स्कूटी संख्या यू0पी0 79 एए 7566 भी अपने साथ ले गये। स्कूटी की वास्तविक स्थिति और वर्तमान में स्कूटी किसके पास है और नकद व ऑनलाइन ट्रांजिक्शन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण जानकारी विवेचना के द्वारा ही प्राप्त की जा सकती थी। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा सम्पूर्ण लेनदेन के सम्बन्ध में सम्पूर्ण साक्ष्य दौरान बहस सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिये थे, जिनको अनदेखा कर आदेश दिनांकित

Digitally signed by MAYANK CHAUHAN
Date: 2026.03.18 11:11:39 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

28.05.2025 पारित कर दिया गया है। अतः निवेदन किया गया कि सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 28.05.2025 निरस्त कर पुनः विधिसम्मत आदेश पारित किये जाने हेतु अवर न्यायालय को आदेशित जाने का आदेश पारित किया जाये।

3— पुनरीक्षण के निस्तारण के लिये आवश्यक सुसंगत तथ्य इस प्रकार हैं कि पुनरीक्षणकर्ता/प्रार्थी की ओर से सम्बन्धित न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, औरैया के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थनापत्र धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार प्रार्थी के गांव के भगत सिंह व पास के गांव भदौरा के श्रवण कुमार उसके मित्र थे, जिस कारण वह इन लोगों पर बहुत विश्वास करता था। उक्त लोगों ने प्रार्थी से दिनांक 20.05.2023 को 2,00,000/— रूपये यह कहकर उधार मांगे कि उनका मछली का ठेका शुरू होने वाला है, पैसों की आवश्यकता है, जैसे ही मछलियां पकड़नी शुरू होंगी, तुम्हें तुम्हारा पैसा और ठेके से होने वाली आय का 25 प्रतिशत हिस्सा आपको दे दिया जायेगा। प्रार्थी ने उपरोक्त लोगों पर विश्वास करके सरसों की बिक्री के रखे हुये 2,00,000/— रूपयो उसी दिन उक्त दोनों लोगों को दे दिये। उक्त लोग कभी 4000/— रूपया कभी 5000/— रूपया प्रतिमाह प्रार्थी के खाते में डालने लगे। दिनांक 28.06.2024 को पुनः उक्त लोगों ने 1,50,000/— रूपयों की और आवश्यकता प्रार्थी से प्रकट की। चूंकि उपरोक्त लोग प्रार्थी को कमीशन दे रहे थे, इसलिए प्रार्थी ने उसी दिन ऑनलाइन 20,000/— रूपये समय 05.14 बजे शाम व उसी दिन 20,000/— रूपया 05.15 बजे शाम व उसी समय 1,00,000/— रूपये नकद व दिनांक 03.07.2025 को 10,000/— रूपये ऑनलाइन उक्त लोगों को दे दिये। कुछ दिन तक तो सबकुछ ठीक ठाक रहा, उसके बाद उपरोक्त लोगों ने पैसा देना बन्द कर दिया। दिनांक 10.01.2025 को विपक्षी भगत सिंह का भाई त्रिमोहन सिंह प्रार्थी के पास प्रार्थी के घर आया और कहा कि भैया को स्कूटी की आवश्यकता है, इस पर प्रार्थी ने विश्वास करके त्रिमोहन सिंह को अपनी स्कूटी संख्या यू0पी0 79 एए7566 उसी दिन दे दी। जब प्रार्थी ने शाम को अपनी स्कूटी वापस मांगी तो आजकल करके टरकाता रहा। दिनांक 10.05.2025 को समय करीब 06.00 बजे शाम भगत सिंह व त्रिमोहन सिंह व श्रवण कुमार गांव के बाहर खेतों पर मिले और प्रार्थी को गाली—गलौज कर धक्का मुक्की की और कहा कि अपने पैसे और स्कूटी भूल जाओ और अगर दोबारा पैसे और स्कूटी मांगे तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। उपरोक्त लोगों पर अभी भी प्रार्थी के लगभग 3,00,000/— रूपया बकाया है और स्कूटी भी उपरोक्त लोगों के कब्जे में ही है। उपरोक्त लोगों की नियत प्रार्थी के रूपयों और स्कूटी पर खराब है। उसकी रिपोर्ट सम्बन्धित थाना पर न हीं लिखी गयी। अतः रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना कराये जाने हेतु सम्बन्धित थानाध्यक्ष को आदेशित किये जाने की प्रार्थना की गयी।

4— उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण व उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना तथा पत्रावली का सम्यक् परिशीलन किया।

5— विपक्षी संख्या 1 उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा आक्षेपित आदेश का समर्थन करते हुए कथन किया गया है कि प्रश्नगत आदेश विधि सम्मत है, आदेश में कोई अवैधता, अशुद्धता व अनियमितता नहीं है। उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः पुनरीक्षण खारिज किये जाने योग्य है।

6— प्रस्तुत पुनरीक्षण के सम्बंध में सर्वप्रथम संविधिक एवं निर्णज्य विधियों का उल्लेख करना समीचीन होगा। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 438 में प्राविधान किया गया है कि उच्च न्यायालय या सत्र न्यायाधीश अपनी स्थानीय अधिकारिता के अंदर स्थित किसी अवर दण्ड न्यायालय के समक्ष की गयी किसी कार्यवाही के अभिलेख में किसी अभिलिखित या पारित किये गये निष्कर्ष, दण्डादेश या आदेश की शुद्वता, वैधता या औचित्य के बारे में और ऐसे न्यायालय की कार्यवाहियों की नियमितता के बारे में अपना समाधान करने के प्रयोजन से, मंगा सकेगा और उसकी परीक्षा कर सकेगा।

7— कोई अपराध होने पर उसकी सूचना दर्ज करना प्राथमिक रूप से पुलिस का कर्तव्य है। यदि कोई संज्ञेय अपराध कारित होने की सूचना थाने पर दी जाती है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करना थाना पुलिस का कर्तव्य है। यदि थाना पुलिस प्राविधान का पालन नहीं करती है तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 173(3) के अंतर्गत अपराध की इस सूचना को आवेदक द्वारा सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक को भेजा जा सकता है। सम्बन्धित पुलिस अधीक्षक यह समाधान होने पर कि दी गयी सूचना से किसी अपराध का होना प्रकट होता है, तो वह मामले का स्वयं अन्वेषण कर सकते हैं अथवा अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी से अन्वेषण करा सकते हैं। यदि फिर भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की जाती है तो आवेदक के पास अन्य विकल्प धारा 173(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की उपलब्धता है। धारा 175(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में प्राविधान किया गया है कि धारा 210 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन सशक्त कोई मजिस्ट्रेट, धारा 173 की उपधारा (4) के अधीन किये गये शपथ पत्र द्वारा समर्थित आवेदन पर विचार करने के पश्चात ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, किये जाने के पश्चात तथा इस सम्बन्ध में किये गये निवेदन पर पूर्वोक्त प्रकार के ऐसे अन्वेषण का आदेश कर सकता है। माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय की विधि व्यवस्थाओं में यह सुस्थापित कर दिया गया है कि धारा 173(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का आवेदन दिये जाने पर यदि आवेदन के गुण दोष पर

प्रथम दृष्टया किसी संज्ञेय अपराध का पारित किया जाना प्रकट होता है तो मजिस्ट्रेट के समक्ष दो विकल्प होते हैं। **पहला** विकल्प यह कि मजिस्ट्रेट आवेदन के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने का आदेश पारित करते हुए विवेचना के लिए पुलिस को निर्देशित कर सकता है। यदि मजिस्ट्रेट द्वारा इस विकल्प का प्रयोग नहीं किया जाता है तो **दूसरा** विकल्प यह है कि अपराध का संज्ञान लेते हुए मजिस्ट्रेट को आवेदन को परिवाद के रूप में दर्ज कर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अध्याय 16 में परिवाद के लिए वर्णित प्रक्रिया का अनुपालन कर सकता है।

8– पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह कथन किया गया है कि उसके गांव के भगत सिंह व पास के गांव भदौरा के श्रवण कुमार को उसने दिनांक 20.05.2023 को 2,00,000/– रूपये मछली का ठेका हेतु दिये थे। दिनांक 28.06.2024 को पुनः उक्त लोगों ने 1,50,000/– रूपयों की और आवश्यकता प्रार्थी से प्रकट की। चूंकि उपरोक्त लोग प्रार्थी को कमीशन दे रहे थे, इसलिए उसने उसी दिन ऑनलाइन 20,000/– रूपये समय 05.14 बजे शाम व उसी दिन 20,000/– रूपया 05.15 बजे शाम व उसी समय 1,00,000/– रूपये नकद व दिनांक 03.07.2025 को 10,000/– रूपये ऑनलाइन उक्त लोगों को दे दिये। दिनांक 10.01.2025 को विपक्षी भगत सिंह का भाई त्रिमोहन सिंह को उसने विश्वास करके अपनी स्कूटी संख्या यू0पी0 79 एए7566 दे दी। दिनांक 10.05.2025 को समय करीब 06.00 बजे शाम भगत सिंह व त्रिमोहन सिंह व श्रवण कुमार गांव के बाहर खेतों पर मिले और प्रार्थी को गाली–गलौज कर धक्कामुक्की की और कहा कि अपने पैसे और स्कूटी भूल जाओ और अगर दोबारा पैसे और स्कूटी मांगे तो तुम्हारी हत्या कर देंगे। उपरोक्त लोगों पर अभी भी प्रार्थी के लगभग 3,00,000/– रूपया बकाया है और स्कूटी भी उपरोक्त लोगों के कब्जे में ही है। इस प्रकार प्रार्थी द्वारा गाली–गलौज, धक्कामुक्की व धमकी देने की घटना दिनांक 10.05.2025 की बतायी है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में यह भी कथन किया गया है कि उसके द्वारा दिनांक 03.07.2025 को दस हजार रूपये ऑनलाइन विपक्षीगण को दिये थे, परन्तु प्रार्थी के द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता दिनांक 22.04.2025 को सम्बन्धित न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। सम्बन्धित न्यायालय के आदेश के अवलोकन से स्पष्ट है कि विद्वान सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश पूर्णतया विधि सम्मत है, जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधता, अशुद्धता या अनियमितता दर्शित नहीं होती है। अतः आक्षेपित आदेश दिनांकित 28.05.2025 में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। पुनरीक्षण बलहीन होने के कारण निरस्त किए जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

पुनरीक्षणकर्ता घनश्याम द्वारा प्रस्तुत दाण्डिक पुनरीक्षण निरस्त किया जाता है। विद्वान सम्बन्धित न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश दिनांकित 28.05.2025 पुष्ट किया जाता है।

सम्बन्धित न्यायालय की पत्रावली इस निर्णय की प्रति के साथ सम्बन्धित न्यायालय को अविलम्ब वापस की जाये।

पुनरीक्षण पत्रावली अभिलेखागार संग्रहीत की जाये।

दिनांक–18.03.2026

(मयंक चौहान)
सत्र न्यायाधीश,
औरैया।

यह निर्णय एवं आदेश, आज खुले न्यायालय में, मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित होकर, उद्घोषित किया गया।

दिनांक–18.03.2026

(मयंक चौहान)
सत्र न्यायाधीश,
औरैया।